(वाद संख्या–888/17)

12.02.2021

प्रसंगाधीन मामला, सारण, छपरा जिलान्तर्गत भा0द0सं0 की धाराओं 302/ 201/34 से संबंधित सोनपुर थाना कांड संख्या–494/15, दिनांक–20.12.2015 के अन्तर्गत मृतक स्वारथ पासवान की पत्नी (परिवादी, रिंकू देवी) को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानानुसार मूआवजा व पेंशन राशि के भुगतान से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के नियमावली 2014 के आलोक में परिवादी को नियमानुसार मुआवजा राशि के अतिरिक्त 4500/– रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। जहां तक पेंशन में मंहगाई भत्ता के भुगतान का प्रश्न है, प्रतिवेदनानुसार पेंशन पर मंहगाई भत्ता का भुगतान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार नियमावली 2016 के गजट में प्रकाशन की तिथि 14.04.2016 के प्रभाव से दिये जाने का निर्देश है तथा उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह लाभ **भूतलक्षी प्रभाव** से प्रभावी नहीं होगा।

चूंकि आवेदिका के पति की हत्या दिनांक–20.12.2015 को हुई है जिससे उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली अधिनियम 2014 के आलोक में मात्र 4500/–रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में अनुमान्य है, जो उन्हें नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

अब, जबकि उपरोक्त प्रतिवेदनानुसार परिवादी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमावली अधिनियम 2014 के अन्तर्गत अनुमान्य मुआवजा राशि का भुगतान हो चुका है तथा पेंशन राशि का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के प्रतिवेदन के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>